

ब्रजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्गा/
तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 जून 2006—वैशाख 17, शक 1928

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-2-2/सं./30/06.—राज्य शासन एतद्वारा "छत्तीसगढ़ बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान" का गठन करता है, जिसमें निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे :—

- | | | |
|---|----|---|
| 1. अध्यक्ष (पदेन) | - | मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन |
| 2. उपाध्यक्ष (पदेन) | - | संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन |
| 3. अशासकीय सदस्य
(तीन वर्ष की अवधि के लिए) | - | ऐसे 10 व्यक्ति जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो, वे निम्नानुसार हैं :— |
| | 1. | सुश्री तीजन बाई-लोक गायिका पंडवानी, भिलाई |
| | 2. | श्री विनोद कुमार शुक्ला-ख्याति नाम साहित्यकार, रायपुर |
| | 3. | श्री शेखर सेन-संगीतकार, मुम्बई |

4. श्री गुणवन्त व्यास-शास्त्रीय संगीत, रायपुर
 5. श्री विष्णु सिंह ठाकुर-इतिहासविद्, रायपुर
 6. श्री जयंत देशमुख-कला निर्देशक, मुम्बई
 7. श्री मृदुला सिन्हा-साहित्यकार, दिल्ली
 8. डॉ. शरद हेबालकार-संस्कृति लेखक, महाराष्ट्र
 9. श्री कपिल तिवारी-लोक संस्कृति विशेषज्ञ, भोपाल
 10. श्री गिरजाशंकर-वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल
4. शासन द्वारा मनोनीत सदस्य (पदेन) - राज्य शासन के आदिमजाति कल्याण, पर्यटन, शिक्षा, वित्त, संस्कृति, पंचायत और समाज कल्याण के सचिव या वरिष्ठ प्रतिनिधि.
 5. सदस्य सचिव (पदेन) - प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग.
2. उपरोक्तानुसार गठित "छत्तीसगढ़ बहुआयामी सांस्कृतिक संस्थान" का पंजीकरण सोसाइटी के रूप में छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत होगा.
 3. उक्त सोसायटी की उपविधियां परिशिष्ट "अ" के अनुसार राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की गई है, जो शासन द्वारा अंगीकार की जाएगी.

Raipur, the 7th June 2006

NOTIFICATION

No. F-2-2/30/सं./06.—State Government hereby constitute "Chhattisgarh Multi-Dimensional Cultural Institute", in which there shall be following office bearers :—

1. Chairman (Ex-Officio) - Chief Minister Chhattisgarh Government
2. Deputy Chairman (Ex-Officio) - Minister for Culture Chhattisgarh Government
3. Non-Government Members (For a period of 3 years) - Following ten specialist person of various fields, who possess national or international reputation.
 1. Ms. Tijan Bai-Folk Singer Panadwani, Bhillai
 2. Mr. Vinod Kumar Shukla-Literature, Raipur
 3. Mr. Shekhar Sen-Musician, Mumbai

4. Mr. Gunvant Vyas-Classical, Raipur
 5. Mr. Vishnu Singh Thakur-Archaeologist, Raipur
 6. Mr. Jayant Deshmukh-Art Director, Mumbai
 7. Mr. Mridula Sinha-Literature, Raipur
 8. Dr. Sharad Hebalkar-Culture Writer
 9. Mr. Kapil Tiwari-Folk Culture Expert, Bhopal
 10. Mr. Girija Shankar -Journalist, Bhopal
4. Government Nominated Members - (Ex-Officio) Secretary or Senior Representative of Scheduled Tribe Welfare, Tourism, Education, Finance, Cultural, Panchayat and Social Welfare Departments of State Government.
 5. Member Secretary (Ex-Officio) - Principal Secretary for Culture Chhattisgarh Government.
2. The Registration of "Chhattisgarh Multi Dimensional Cultural Institute " Constituted as above has been made under Chhattisgarh Society Registration Act, 1973.
 3. The Bye laws of the said society have been approved by State Government as per annexure-A which shall be accepted by society.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, विशेष सचिव.

